

कार्यालय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

आदेश

अपर जिलाधिकारी प्रशासन, बुलन्दशहर के पत्रांक 1172/न्याय सहायक /कोरोना वायरस/2021 दिनांक 08 अप्रैल, 2021 व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक सी0एम0ओ0/कोविड-19/202-21/106 दिनांक 08.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आज दिनांक 08.04.2021 को श्रीमती रितिका त्यागी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-07, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। इसको दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय परिसर को 24 घण्टे के लिए सैनेटाईज कराने के उपरान्त बन्द करने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1941/LXXXVII-सीपीसी/ईकोर्ट/ इलाहाबाद दिनांकित 05.04.2021 के पैरा संख्या-08 के अनुपालन में दिनांक 09.04.2021 को जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर सैनेटाईजेशन कराने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु बन्द रहेगा तथा दिनांक 12.04.2021 को न्यायालय/कार्यालय यथावत खुलेगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक-08.04.2021


08/4/2021

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश)

जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

District Judge.
Bulandshahr

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर
- 2 जिलाधिकारी, बुलन्दशहर
- 3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर
- 4 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर
- 5 अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर
- 6 अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर
- 7 जेल अधीक्षक, बुलन्दशहर
- 8 जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
- 9 सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड करने के लिए
- 10 समस्त/न्यायालय एवं कार्यालय

दिनांक- 08.04.2021

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।